

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)
अधिसूचना

पटना, दिनांक— जुलाई, 2016

संख्या-1/सी01-01/2016 गृ.आ.- / कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक-25013/02/2005-AIS.II दिनांक 28.06.2012 से निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-सह-सेवांत लाभ) नियमावली, 1958 के नियम-16 (3) के अन्तर्गत बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के सेवाभिलेख की गहन समीक्षा हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है :-

- (i) मुख्य सचिव, बिहार — अध्यक्ष
(ii) पुलिस महानिदेशक, बिहार — सदस्य
(iii) श्री राजीव कुमार, भा0पु0से0 (झारखण्ड-1981),
सम्प्रति महानिदेशक-सह-समादेश्टा,
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा,
झारखण्ड, राँची (बिहार संवर्ग के बाहर के पुलिस
महानिदेशक स्तर के पदाधिकारी के
रूप में, जिनका गृह राज्य बिहार नहीं है)
(iv) श्री अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0 (बी0एच0-89)
सम्प्रति प्रधान सचिव — सदस्य
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना । (बिहार संवर्ग में प्रधान सचिव
स्तर के अनु0जाति/अनु0जनजाति
पदाधिकारी के रूप में)
(v) प्रधान सचिव/सचिव, — सदस्य सचिव
गृह विभाग, बिहार, पटना

2. समिति बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में सेवाभिलेख की गहन समीक्षा कर अपनी अनुशंसा देगी ।
3. समिति की अनुशंसा राज्य सरकार के समक्ष रखी जायेगी । तत्पश्चात् राज्य सरकार की अनुशंसा गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जायेगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-1/सी01-01/2016 गृ.आ.- / पटना, दिनांक - जुलाई, 2016
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी ई-गजट कोषांग,
वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-1/सी01-01/2016 गृ.आ.- 5/24/ पटना, दिनांक - 04 जुलाई, 2016
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-1/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/समिति के सभी सदस्यगण/प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड, राँची/आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना (website : www.home.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु) एवं प्रशाखा पदाधिकारी, 1 एवं 5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव